BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 215/2021

IN THE MATTER OF:

Shivalik Emerald Hills Residents
Welfare Society ....Applicant

Versus

Department of Forest, Uttarakhand ....Respondent

FACTUAL AND ACTION REPORT ON BEHALF OF PCCF (HoFF), UTTARAKHAND, IN COMPLIANCE TO THE DIRECTIONS ISSUED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL

VIDE ORDER DATED 01.09.2021

1. That the aforesaid matter was listed before this Hon'ble Tribunal and after the hearing this Hon'ble Tribunal had passed the following directions:
"2. In view of above averments, we consider it appropriate to require a factual and action taken report from a joint Committee of PCCF (HoFF), Uttarakhand, SEIAA, Uttarakhand and the District Magistrate, Dehradun. The PCCF (HoFF), Uttarakhand will be nodal agency for coordination and compliance. The report may be furnished within one 2 months from today by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.
A copy of this order be forwarded to the PCCF (HoFF), Uttarakhand, SEIAA, Uttarakhand and District Magistrate, Dehradun by e-mail for compliance".

2. That in compliance to the above said directions, the undersigned vide Office Order No. 521/P.O dated 20.09.2021 constituted a committee to inspect the site in question.

3. The committee held site inspection on 29.09.2021 and submitted its report to the undersigned on 30.09.2021. Copy of the said report is annexed herewith as **ANNEXURE-1.**

4. That in its report the Committee has mentioned that, contrary to the allegations of the complainant, no encroachment of forest land has taken place and no tree(s) has/have been illegally felled in the said area. The Committee has further stated that only the revenue department or the municipal corporation will be able to comment on the legal status of the boundary-wall, retaining-wall, bridge etc. built outside the reserve forest area in the said site.

5. That on being informed vide letter No.104/29-5 dated 01.10.2021 of the Office of the APCCF Environment, Uttarakhand about the findings of the committee constituted by this office vide letter No. 521/P.O. dated 20.09.2021, the District Magistrate, Dehradun furnished an action taken report vide letter No. 4097/c.p.o/jaanch-2022 dated 17.02.2022 **ANNEXURE-2.**

   In his report, the District Magistrate Dehradun has submitted as follows:-

   a. That in the concerned site, survey of privately owned Khasra No. 311 (0.185 Ha) of Malsi mauja with reference to the boundaries of Khasra No. 310 was done by the Revenue Inspector/Revenue Sub-Inspector in compliance to the order of Tehsildar Sadar, Dehradun who was working under the directions of the Sub-Divisional Magistrate, Dehradun.

b. That the Tehsildar Sadar, Dehradun submitted his report on 17.02.2022. As per the said report, the owners of Khasra No. 311 have encroached and have illegally built retaining wall in a part of Khasra No. 310. Khasra No. 310 is registered as river bed under the control of the Nagar Nigam, Dehradun.

c. That the Additional Commissioner, Nagar Nigam, Dehradun vide its letter No. 712/bhumi/2022 dated 19.02.2022 **ANNEXURE-3** has informed that the encroachment jointly confirmed by the officials of Nagar Nigam, Dehradun and the Revenue Department have/has been removed and the illegally constructed retaining wall from Khasra No. 310 has been physically demolished and removed using excavators etc. Photographs of the demolition and physical removal of illegally built retaining wall and other structures are attached herewith as **ANNEXURE-4.**

It is humbly submitted that neither encroachment of forest land has taken place nor has there been any illegal felling of trees in the area mentioned by the applicant. In the same vein it is humbly submitted that the owners of Khasra No. 311 had encroached upon and illegally built some structures in Khasra No. 310 that belongs to the Nagar Nigam, Dehradun and the said encroachment and illegally built structures have been demolished and physically removed.

This Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to take this Factual Report on record in the interest of justice.

DATE: 21-2-2022.

PLACE: Dehradun

Vinod Kumar
PCCF (HoFF)
UTTARAKHAND, DEHRADUN

Principal Chief Conservator of Forests (HoFF)
Uttarakhand

Annexure-1

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

E-mail :- dfo_mussoorie@rediffmail.com Phone/fax 0135 2631765

संख्या– 1263 /24-1 मसूरी, दिनांक 30, सितम्बर, 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
पर्यावरण,देहरादून उत्तराखण्ड ।

विषय– **राजपुर स्थित मालसी वन की विन्दाल राव में तथा कथित अतिक्रमण का भूमि के सम्बन्ध में Action Taken Report तैयार करने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ– मा0 राष्ट्रीय अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 215/2021 Shivalik Emereld Hills Residents Welfare Society v/s Department of forest uttarakhand में मा0 अधिकरण का आदेश दिनांक 01.09.2021 तथा आपका पत्रांक 97/29–5 दिनांक 27.09.2021।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में राजपुर स्थित मालसी वन की विन्दाल राव में तथाकथित अतिक्रमण वन भूमि के सम्बन्ध दिनांक 29.09.2021 को राजस्व विभाग तथा वन विभाग मे प्रतिनिधियों द्वारा स्थलीय जांच की गई। प्रश्नगत स्थल का अघोहस्ताक्षरी तथा प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून द्वारा भी स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण में आरक्षित वन क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नही पाया तथा आरक्षित प्रश्नगत स्थल पर राजपुर कक्ष सं0 5 की सीमा राजकीय गजट के अनुसार सही पाई गई। निरीक्षण में प्रश्नगत स्थल पर वृक्षों का पातन नही पाया गया। तथा प्रश्नगत स्थल एवं नाले के समीप जो बाउन्ड्री, पुस्ता, पुल आदि बनाये गये है वह आरक्षित वन सीमा से बाहर है। आरक्षित वन क्षेत्र से बाहर जिस भूमि में बाउन्ड्री, पुस्ता, पुल आदि कार्य किये गये है उसके सम्बन्ध में राजस्व विभाग/नगर निगम द्वारा स्थिति स्पष्ट की जा सकती है प्रश्नगत प्रकरण में Action Taken Report इस कार्यालय के पत्रांक 209 TC/21–5 दिनांक 22.09.2021 के द्वारा वन संरक्षक यमुनावृत एवं प्रति प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड की सेवा मे प्रेषित की गई जिसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

सलग्नंक– उपरोक्तानुसार

भवदीया,

प्रभागीय वनाधिकारी(भा0व0से0),
मसूरी वन प्रभाग,
मसूरी।

Annexure 1(1)

स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक 29.09.2021 को राजपुर स्थित मालसी वन की बिन्दाल राव में तथाकथित अतिक्रमित वन भूमि के सम्बन्ध में श्रीमान अपर प्रमुख वन संरक्षक, पर्यावरण उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 97/29–5 दिनांक 27.09.2021 के अनुपालन में राजस्व विभाग तथा वन विभाग के प्रतिनिधियों के द्वारा मौके पर स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया गया कि खसरा नं0 310 जो राजस्व अभिलेखों में नदी के रूप में दर्ज है, उसमें नाले की तरफ पुस्ता निर्माण किया गया है। खसरा नं0 311 राजस्व अभिलेखों के अनुसार खातेदार की निजी भूमि है। उक्त निजी भूमि का कुछ भाग आरक्षित वन सीमा राजपुर कक्ष सं0 5 के मिलान पर है। प्रश्नगत स्थल पर आरक्षित वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण मौके पर नही पाया गया तथा आरक्षित वन सीमा राजकीय गजट के अनुसार सही पायी गई। स्थलीय निरीक्षण में प्रश्नगत स्थल पर वृक्षों का कोई पातन नही पाया गया तथा प्रश्नगत स्थल एवं नाले के समीप जो बाउन्ड्रीवाल निर्माण, पुस्ता निर्माण, पुल आदि बनाये गये हैं, वह आरक्षित वन सीमा से बाहर है। आरक्षित वन क्षेत्र में कोई अतिक्रमण व अवैध निर्माण नही पाया गया। आरक्षित वन क्षेत्र से बाहर जिस भूमि में बाउन्ड्रीवाल निर्माण, पुस्ता निर्माण, पुल आदि बनाये गये है, उसके सम्बन्ध में राजस्व विभाग/नगर निगम द्वारा स्थिति स्पष्ट की जा सकती है।

29/09/21
(सतीश चौधरी)
सर्वेयर
मसूरी वन प्रभाग

(सुरेश चन्द्र शर्मा)
उप राजि०
सै०-क्षे० राजपुर

(राकेश नेगी)
वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज

29/9/2021
(सुभाष चन्द्र वर्मा)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग

(सन्तराम)
व० व०/वी० प०
राजपुर

29.9.21
(सुरेन्द्र सिंह)
नायब तहसीलदार
सदर (देह०)

Annexure -2

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक(पर्यावरण),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या– 4097 /सी.पी.ओ./जॉच.–2022 दिनॉक 17 फरवरी, 2022

विषयः– **राजपुर स्थित मालसी वन की बिन्दाल राव में तथाकथित वन भूमि अतिकमण के सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति एवं Action Taken Report तैयार करने विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक–216 /29–5 देहरादून, दिनांक 15 फरवरी, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजपुर स्थित मालसी वन की बिन्दाल राव में तथाकथित वन भूमि अतिकमण के सम्बन्ध में प्रश्नगत स्थल में राजस्व/नगर पालिका भूमि का तथाकथित अतिकमण का भली–भॉति परीक्षण/जांच कराकर अतिकमण को बेदखल करने की कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण में उप जिलाधिकारी सदर देहरादून द्वारा तहसीलदार सदर देहरादून से स्थलीय जॉच कराते हुए अपनी जॉच आख्या कार्यालय पत्र संख्या–73/एस.पी.ए.–2022 दिनांक 17.02.2022 के द्वारा प्रस्तुत की गयी है। उप जिलाधिकारी सदर देहरादून द्वारा प्रेषित आख्या में उल्लेख किया है कि तहसीलदार सदर देहरादून से जॉच कराई गयी। तहसीलदार सदर देहरादून द्वारा राजस्व निरीक्षक/राजस्व उप निरीक्षक से संयुक्त स्थलीय जॉच कराते हुए दिनांक 17.02.2022 को आख्या प्रस्तुत की गयी है। तहसीलदार की जॉच आख्यानुसार स्थल पर मौजा मालसी के खसरा सं0 311 रकबा 0.1850है0 जो खातेदारों की भूमिधरी भूमि है को चिन्हित कर खसरा सं0 310 व 311 की सीमा पैमाइश कर निर्धारित की गई है। खसरा सं0 310 नदी के खाते में अंकित है व नगर निगम देहरादून की भूमि है। खसरा सं0 310 के कुछ भाग पर खसरा सं0 311 के खातेदारों द्वारा पूर्व में पुस्ता निर्माण कर अतिकमण किया गया है। इस सम्बन्ध में स्थल पर उपस्थित नगर निगम के कर्मचारियों/अधिकारियों को नगर निगम की भूमि खसरा सं0 310 पर बने पुस्ते के सम्बन्ध में अवगत करा दिया गया है। नगर निगम के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा जे.सी.बी. से पुस्ते के ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। मौके पर उपस्थित नगर निगम के अधिकारी/कर्मचारियों को अवगत करा दिया गया है कि ध्वस्तीकरण का कार्य समाप्ति पश्चात दिनांक 18.02.2022 तक नगर निगम द्वारा स्थलीय फोटोग्राफ/छायाचित्र उपलब्ध कराये जायेंगे। स्थल पर पुस्ता ध्वस्तीकरण की कार्यवाही से पूर्व का छायाचित्र की प्रतिलिपि संलग्न है। उप जिलाधिकारी सदर देहरादून द्वारा प्रेषित जॉच आख्या के साथ तहसीलदार सदर देहरादून द्वारा प्रेषित स्थलीय जॉच आख्या एवं स्थल कार्यवाही की प्रति मूल रूप में संलग्न की गयी है।

अतः उप जिलाधिकारी सदर, देहरादून द्वारा प्रेषित पत्रं सं0 73/एस.पी.ए.–2022 दिनांक 17.02.2022 संलग्नकों सहित मूल रूप में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

17/2/2022

(डा. आर.राजेश कुमार)
जिलाधिकारी,
देहरादून।

प्र0अ0
मु.व.सं.अ.
19/02/22
व.प्र.स.(प.अ.)
19/02/22

पत्रांक सं. 399
29-5
दिनांक 19-02-2022

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी(सदर),
देहरादून।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

संख्या– 73 /एस.पी.ए.–2022 दिनॉक 17 फरवरी, 2022

विषयः– **राजपुर स्थित मालसी वन की बिन्दाल राव में तथाकथित वन भूमि अतिकमण के सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति एवं Action Taken Report तैयार करने विषयक।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक,(पर्यावरण), उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक–216 /29–5 देहरादून, दिनांक 15 फरवरी, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजपुर स्थित मालसी वन की बिन्दाल राव में तथाकथित वन भूमि अतिकमण के सम्बन्ध में प्रश्नगत स्थल में राजस्व/नगर पालिका भूमि का तथाकथित अतिकमण का अपने स्तर से भली–भॉति परीक्षण/जांच कराकर अतिकमण को बेदखल करने की कार्यवाही अपने स्तर से करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण में तहसीलदार सदर से जांच कराई गयी। तहसीलदार सदर देहरादून द्वारा राजस्व निरीक्षक/राजस्व उप निरीक्षक से स्थलीय संयुक्त जॉच कराते हुए जांच आख्या दिनांक 17.02.2022 इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक,(पर्यावरण), उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक–216 /29–5 देहरादून, दिनांक 15 फरवरी, 2022 के सम्बन्ध में स्थलीय जॉच की गयी। स्थल पर मौजा मालसी के खसरा सं0 311 रकबा 0.1850है0 जो खातेदारों की भूमिधरी भूमि है को चिन्हित कर खसरा सं0 310 व 311 की सीमा पैमाइश कर निर्धारित की गई है। खसरा सं0 310 नदी के खाते में अंकित है व नगर निगम देहरादून की भूमि है। खसरा सं0 310 के कुछ भाग पर खसरा सं0 311 के खातेदारों द्वारा पूर्व में पुस्ता निर्माण कर अतिकमण किया गया है। इस सम्बन्ध में स्थल पर उपस्थित नगर निगम के कर्मचारियों/अधिकारियों को नगर निगम की भूमि खसरा सं0 310 पर बने पुस्ते के सम्बन्ध में अवगत करा दिया गया है। नगर निगम के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा जे.सी.बी. से पुस्ते के ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। उनके द्वारा उक्त ध्वस्तीकरण का कार्य समापित पश्चात दिनांक 18.02.2022 तक छायाचित्र नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। स्थल पर पुस्ता ध्वस्तीकरण की कार्यवाही से पूर्व का छायाचित्र की प्रतिलिपि संलग्न है। तहसीलदार सदर देहरादून द्वारा संयुक्त स्थलीय जॉच आख्या के साथ स्थल पर की गयी कार्यवाही की स्थल कार्यवाही भी संलग्न की गयी है।

अतः कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक,(पर्यावरण), उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक–216 /29–5 देहरादून, दिनांक 15 फरवरी, 2022 के कम में तहसीलदार सदर, देहरादून द्वारा प्रस्तुत संयुक्त स्थलीय जॉच आख्या दिनांक 17.02.2022 संलग्नकों सहित मूल रूप में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(मनीष कुमार)
(भा0प्र0से0)
उप जिलाधिकारी,(सदर)
देहरादून।

प्रतिलिपिः– 1. अपर प्रमुख वन संरक्षक,(पर्यावरण), उत्तराखण्ड, देहरादून महोदय को उनके कार्यालय पत्रांक–216 /29–5 देहरादून, दिनांक 15 फरवरी, 2022 के कम में सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. प्रभागीय वनाधिकारी-मसूरी वन प्रभाग महोदया को सादर सूचनार्थ व अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी,(सदर)
देहरादून।

तहसीलदार महोदय
तहसील-सदर देहरादून

महोदय

संलग्न पत्रांक संख्या 216/29-5 देहरादून दिनांक 15-02-2022 कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक (पर्यावरण), उत्तराखण्ड देहरादून के सम्बन्ध में स्थलीय जाँच की गई। स्थल पर मौजा मालसी के ख० सं० 311/0.1850 हे० जो खातेदारों की भूमिधरी भूमि है को चिन्हित कर ख० सं० 310 व 311 की सीमा पैमाइश कर निर्धारित की गई है। ख० सं० 310 नदी के खाते में अंकित है व नगर निगम देहरादून की भूमि है। ख० सं० 310 के कुछ भाग पर ख० सं० 311 के खातेदारों द्वारा पूर्व में पुस्ता निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। इस सम्बन्ध में स्थल पर उपस्थित नगर निगम के कर्मचारियों/अधिकारियों को नगर निगम की भूमि ख० सं० 310 पर बने पुस्ते के सम्बन्ध में अवगत करा दिया गया है। नगर निगम के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा जे० सी० बी० से पुस्ते के ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। अतः द्वारा उक्त ध्वस्तीकरण का कार्य समाप्ति पश्चात दिनांक 18-02-22 तक छायाचित्र नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। स्थल पर पुस्ता ध्वस्तीकरण की कार्यवाही से पूर्व का छायाचित्र की प्रतिलिपि संलग्न है। आख्या सेवा में प्रेषित है।

महोदय, R.I. एवं R.S.I. आख्या सेवा में साथ प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
17.02.022
प्र. तहसीलदार सदर

(हस्ताक्षर)
17-02-022
रा० नि०

(हस्ताक्षर)
17-02-2022
रा० उ० नि०

Annexure - 2(3)

स्थलीय कार्यवाही

आज दिनांक 17-02-2022 को कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक (पर्यावरण उत्तराखण्ड देहरादून) के पत्रांक सं० 216/29-5 देहरादून दिनांक 15-02-2022 के अनुपालन में राजस्व ग्राम मालसी के खसरा संख्या 310 व 311 की सीमा नगर निगम के अधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति में चिन्हित की गई है। ख० सं० 311 रकबा 0.1850 है० सजरे के अनुसार चिन्हित किया गया है, जो खातेदारों के नाम दर्ज है व ख० सं० 310 रकबा 0.5100 है०, जो अभिलेखों में नदी दर्ज है को भी चिन्हित कर ख० सं० 310 व 311 की सीमा निर्धारित की गई है। ख० सं० 310 नदी, नगर-निगम देहरादून की भूमि है। ख० सं० 310 में ख० सं० 311 के खातेदारों द्वारा पूर्व में पुस्ता निर्माण किया गया है, जो स्थल पर नगर निगम के उपस्थित अधिकारी/कर्मचारियों को अवगत करा दिया गया है पुस्ता ख० सं० 310 नगर निगम की भूमि पर बनाया गया है, जिसको ध्वस्तीकरण कर अतिक्रमण हटाने हेतु नगर-निगम को अवगत कराया गया है तथा वर्तमान में नगर निगम द्वारा जे० सी० बी० से पुस्ता ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। ध्वस्तीकरण के पश्चात छायाचित्र नगर निगम द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा।

17-02-22
रा० नि०

17-02-22
रा० उ० नि०

(PARSHAD) 17/2/22

नगर निगम
17/2/2022

T.I (टैक्स इंस्पेक्टर) नगर निगम देहरादून
17/2/22

Annexure-2(4)

ग्राम – मालसी
तहसील – सदर, देहरादून
ख०नं० 310 में ~~अतिक~~
अतिक्रमण हटाने से पूर्व
की छायाप्रति

दि.-17-02-022

Annexure - 3

कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

(का0– 0135–2714074:फैक्स–0135–2651060)

पत्रांकः–712/भूमि/2022 दिनांकः–19/02/2022

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
देहरादून।

विषय : राजपुर स्थित मालसी वन की बिन्दाल राव में तथाकथित वन भूमि अतिक्रमण के संबंध में वास्तविक स्थिति एवं एक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार करने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक– 70/वाद अनुभाग/2022, दिनांक 18.02.2022 का अवलोकन ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें आपके द्वारा मालसी वन की बिन्दाल राव में तथाकथित वन भूमि अतिक्रमण के संबंध में वास्तविक स्थिति एवं एक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार करने एवं शासकीय भूमि पर हुए अतिक्रमण हटाने के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया था।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगर निगम देहरादून द्वारा संयुक्त रूप से (राजस्व विभाग एवं नगर निगम) द्वारा चिन्हित किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया है।

संलग्न : संयुक्त रिपोर्ट एवं फोटोप्रति।

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून।

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख वन संरक्षक पर्यावरण उत्तराखण्ड देहरादून महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. उपजिलाधिकारी (सदर) महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून।

Annexure - 4(1)

GPS Map Camera
Dehradun, Uttarakhand, India
93FG+9PJ, Malsi, Dehradun, Uttarakhand
248014, India
Lat 30.373476°
Long 78.077138°
19/02/22 12:39 PM
Google

JCB

Annexure - 4(4)